

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 258/239 / आउशि / योजना / 2019
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/03/2019

प्राचार्य,
शासकीय स्नातक महाविद्यालय,
पोलायकलाँ जिला-शाजापुर (म.प्र.)

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम के लिये निरन्तरता प्रदान करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने बावत् ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 452 / 2019 दिनांक 13.3.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2019-20 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्ववित्तीय आधार पर एम.ए. हिन्दी (उत्तरार्द्ध)

नोट -


1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जाये ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।


1. वर्ष 2019-20 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क. एफ/331/1569/2007/2/38 दि. 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

क्रमांक 259/239 / आउशि / योजना / 2019
प्रतिलिपि:-

1. कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन म०प्र०की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।
-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


30.3.19
(डॉ. अनिल कुमार पाठक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 30/03/2019


30.3.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

कमांक 257/251 / आउशि / योजना / 2019

भोपाल, दिनांक 30/03/2019

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

शुजालपुर (शाजापुर) (म.प्र.)

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम के लिये निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रदान करने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक /1113/2019 दिनांक 20.3.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थायी रूप से सत्र 2019-20 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्ववित्तीय आधार पर एम.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस (उत्तरार्द्ध) एवं एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र (उत्तरार्द्ध)

नोट -

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।


1. वर्ष 2019-20 से प्रवेश प्रारंभ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क. एफ/331/1569/2007/2/38 दि. 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।


(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ0कमांक 257/251 / आउशि / योजना / 2019

प्रतिलिपि:-

1. कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन म0प्र0की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।
-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


30.3.19
डॉ. अनिल कुमार पाठक
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 30/03/2019


30.3.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र० शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 254/250 /आउशि/योजना/2019
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/03/2019

प्राचार्य,
शासकीय के.पी. स्नाकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय,
देवास (म.प्र.)

विषय:-स्ववित्तीय योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम हेतु निरन्तरता प्रदान करने हेतु अनापत्ति बावत् ।
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 397 स.नि./19 दिनांक 15.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) पांच के अंतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित विषय की कक्षाएँ अस्थाई रूप से सत्र 2019-20 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निरन्तरता प्रदान की जाती है:-


स्ववित्तीय आधार पर बी.बी.ए. (द्वितीय वर्ष) एवं बी.सी.ए. (द्वितीय वर्ष)
नोट -

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा ।
2. कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा ।
3. अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे ।
4. विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्ययता बरती जाये ।
5. कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे ।
6. लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये ।
7. शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा ।
8. प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये ।
9. कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा ।
10. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये ।

1. वर्ष 2019-20 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाय ।
3. म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ/331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
4. शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
5. यह प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा,


जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24(x) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


30.3.19
(डॉ. अनिल कुमार पाठक)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.
भोपाल, दिनांक:- 30/03/19

पृ०क्रमांक 255/250 /आउशि/योजना/2019
प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन म०प्र०की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग उज्जैन संभाग, उज्जैन।
-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


30.3.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.